

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2523

दिनांक 25/11/2022

प्रार्थी :-

1. कृष्णराम पुत्र जोधाराम
जाति मेघवाल,
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर),
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. अनोपाराम पुत्र कस्तुरा 2. श्रवणकुमार पुत्र मलाराम
3. वरजूदेवी पत्नि मलाराम 4. मोहनलाल पुत्र मलाराम
जातियान मेघवाल,
5. रूपसिंह 6. तनसिंह 7. दलपतसिंह 8. मगसिंह पि.
रेवन्तसिंह 9. मदनसिंह पुत्र भीखसिंह, जाति राजपूत,
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 358/2018

दिनांक : 24.11.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 782/374 रकबा 37.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2524 to 2527
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी कानाराम
3. विप्रार्थीगण अनोपाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

दिनांक 25/11/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन